भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2685
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

देश में मछली पालन सुविधाओं में सुधार

2685. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में मछली पालन संबंधी अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मछुआरों की औसत आय की गणना की है;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान मछुआरों की आय में वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने मछलियों के लिए हानिकारक परिरक्षकों के उपयोग और इससे मछलियों के नुकसान के संबंध में कोई परामर्श जारी किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने विगत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25) के दौरान मात्स्यिकी और जलीय कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने सहित विभिन्न पहल की हैं। कार्यान्वित की गई मात्स्यिकी विकास योजनाओं में (i) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) (ii) फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फंड (FIDF) और (iii) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) शामिल हैं। इसके अलावा, मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा भी प्रदान की जाती है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने गत पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के 25464.35 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत स्वीकृत 21,274.16 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत स्वीकृत 4190.19 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। अनुमोदित गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ PMMSY के अंतर्गत मात्स्यिकी के लिए 31551.33 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार शामिल है । इसके अतिरिक्त, 4,94,405 मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी को पूरा करने के लिए अब तक 3692.73 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा जारी की गई है। इन पहलों ने मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान दिया, जिससे मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने गत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान PMMSY के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार की 545.16 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रारंभिक दो वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22) में PMMSY के कार्यान्वयन में भाग नहीं लिया है। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने FIDF के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 66.81 करोड़ रुपए की लागत से 18 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। हालांकि विगत पांच वर्षों के दौरान मछुआरों की औसत आय

का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट गणना नहीं की गई है, लेकिन मत्स्यपालन में विविध प्रजातियों के पालन (डाईवरसिफिकेशन) सहित भारत सरकार द्वारा की गई पहलों ने मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, उपभोक्ता की मांगों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन और उत्पादकता एवं निर्यात को बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि हुई है। गत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया। इसी तरह, मात्स्यिकी निर्यात भी 46,666 करोड़ रुपए (2019-20) से बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए (2024-25) हो गया है।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के संरक्षण में रासायनिक फॉर्मेलिन के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय और नियामक कार्रवाई करने की सलाह दी है। इसके अलावा, मानव उपभोग के लिए मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों में फॉर्मेलिन के हानिकारक उपयोग से निपटने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को मत्स्य में फॉर्मेलिन सामग्री जैसे रासायनिक पदार्थों के संयुक्त निरीक्षण और परीक्षण के लिए संबंधित राज्यों के विभागों/एजेंसियों के सदस्यों सहित एक कार्य बल स्थापित करने की भी सलाह दी है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूने लिए जा रहे हैं।

*****